न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 51/2024

वाद दायरी दिनांक :– 13.05.2024

औमप्रकाश पुत्र नन्दकुमार जाति जॉगीड़ निवासी ग्राम कुल्हरियों की ढ़ाणी तन पिलानी खुर्द तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

वादी

बनाम

1 बनवारी पुत्र नन्दकुमार जाति जॉगीड़ निवासी ग्राम कुल्हरियों

2. शिशपाल पुत्र नन्दकुमार की ढ़ाणी तन पिलानी खुर्द तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं ।

3. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिसाऊ जिला झुन्झुनू

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दूरूस्ती

निर्णय

दिनांकः– 03.04.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है वाके जमीन हाल ख.नं. 191 रकबा 2.90 हैक्टर, ख.नं. 207 रकबा 4.06 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम कुल्हरियों की ढ़ाणी तहत पटवार हल्का पिलानी खुर्द तहसील बिसाऊ में स्थित है।यह कि जमीन वर्णिता एवं निम्वर 12 की माता तरीका 1/4 हिस्सा या वादीया की माता तरबीणी का दिनांक 13.08.2020 को देहान्त हो चूका है। तरबीली के देहाना होने के बाद उसके 1/4 हक हिस्सा की जमीन बहिस्सा बराबर उत्तराधिकार में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जमीन वर्णित धारा वावपत्र में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हक हिस्सा हुआ एवं इसी मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित होने के हकार है।वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता का वास्तविक नाम नन्दकुमार है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से वादी के पिता का नाम रामकुमार गलत दर्ज कर रखा है तथा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की जाति जॉगीड़ है लेकिन गलत रूप से जॉगीड़ ब्राहम्ण दर्ज कर रखा है।वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की जाति राजस्व रिकार्ड में जांगीड़ ब्राहमण की जगह सिर्फ जांगीड़ दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 में पहचान के दस्तावेजों में पिता का नाम नन्दकुमार दर्ज है। तथा तरबीणी के मृत्यु प्रमाण पत्र में तरबीणी के पति का नाम नन्दकुमार दर्ज है।दिनांक 24.04.2024 को वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को जमीन में हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के मूताबिक विधिवत विभाजन बाबत एवं पिता का नाम व जाति दुरूस्ती वावत कहा तोयह कि जमीन वर्णिता एवं निम्वर 12 की माता तरीका 1/4 हिस्सा या वादीया की माता तरवीणी का दिनांक 13.08.2020 को देहान्त हो चूका है। तरबीली के देहाना होने के बाद उसके 1/4 हक हिस्सा की जमीन बहिस्सा बराबर उत्तराधिकार में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जमीन वर्णित धारा वावपत्र में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हक हिस्सा हुआ एवं इसी मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित होने के हकार है।वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता का वास्तविक नाम नन्दकुमार है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलत

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

रूप से वादी के पिता का नाम रामकुमार गलत दर्ज कर रखा है तथा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की जाति जॉगीड़ है लेकिन गलत रूप से जॉगीड़ ब्राहम्ण दर्ज कर रखा है।इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की जाति राजस्व रिकार्ड में जांगीड़ ब्राहमण की जगह सिर्फ जांगीड़ दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 में पहचान के दस्तावेजों में पिता का नाम नन्दकुमार दर्ज है। तथा तरबीणी के मृत्यु प्रमाण पत्र में तरबीणी के पति का नाम नन्दकुमार दर्ज है।दिनांक 24.04.2024 को वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को जमीन में हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के मूताबिक विधिवत विभाजन बाबत एवं पिता का नाम व जाति दुरूस्ती बाबत कहा तो वे इन्कार हो गये इस कारण मौजूदा वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ।दावा हाजा के लिऐ वादकारण दिनांक 24.04.2024 को तब जब वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को जमीन में हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के मूताबिक विधिवत विभाजन बाबत एवं पिता का नाम व जाति दुरूस्ती बाबत कहा तो वे इन्कार हो गये इस कारण अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

(क) वाद वादी डिक्री किया जाकर जमीन हाल ख.नं. 191 रकबा 2.90 हैक्टर, ख.नं. 207 रकबा 4.06 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम कुल्हरियों की ढ़ाणी तहत पटवार हल्का पिलानी खुर्द तहसील बिसाऊ में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 प्रत्येक को 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) यह कि जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र के राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता का नाम रामकुमार की नन्द कुमार किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी न0 01 02 की बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार बिसाऊ क्रमांक 121 दिनांक 02.04.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि ग्राम कुलारियों की वाणी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 16 के खन 191.207 के खातेदार औमप्रकाश पुत्र रामकुमार हि० 1/4 तरबीणी पत्नि रामकुमार हि० 1/4 शिशपाल पुत्र रामकुमार हि० 1/4 जाति जांगिड ब्राहमण दर्ज रिकार्ड है।वादी व प्रतिवादी संख्या 1व 2 की माता तरबीणी का देहान्त दिनांक 13.08.2020 को हो चुका है। तरबीची पानी रामकुमार जाति जांगिड ब्राहमण का राजसव रिकार्ड में 1/4 हि० दर्ज है। तरबीणी के पति का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में नन्दकुमार अंकित है। अन्य खातेदार औमप्रकाश, बनवारी शिशपाल के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामकुमार दर्ज है। जबकि औमप्रकाश बनवारी शिशपाल के अन्य दस्तावेजों आधारकार्ड, राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र, जाति–प्रमाण पत्र आदि में पिता का नाम नन्दकुमार जाति जांगिड़ अंकित है। खातेदार तरबीणी पत्नि रामकुमार हि–1/4 की मृत्यु होने पर उनका वर्तमान जमाबंदी में नाम हटाकर उनके हिस्से की भूमि जमाबन्दी में अंकित वारिसान् औमप्रकाश, बनवारी, शिशपाल पि० नन्दकुमान के नाम बराबर हिस्सा शुद्ध किया जाना उचित है।अतः संलग्न दस्तावेजों के आधार पर औमप्रकाश, बनवारी, शिशजाल, पि. रामकुमार जाति जांगिड ब्राहमण के स्थान पर औमप्रकाश, बनवारी शिशपाल पि. नन्दकुमार जाति जांगिड़ शुद्ध किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

वादी की ओर की दस्तावेजात खाता संख्या 16 जमाबन्दी सम्वत 2074—77, मृत्यु प्रमाण पत्र तरबिनी, आधार कार्ड ओमप्रकाश, बनवारी शिशपाल, राशन कार्ड पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता की आम सहमती से वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर जमीन हाल ख.नं. 191 रकबा 2.90 हैक्टर, ख.नं. 207 रकबा 4.06 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम कुल्हरियों की ढ़ाणी तहत पटवार हल्का पिलानी खुर्द तहसील बिसाऊ में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 प्रत्येक को 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र के राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता का नाम रामकुमार की नन्द कुमार किये जाने केको घोषित किया जावे इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान करें।

विधि में भूमि के घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :—

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी न0 01 व 02 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी न0 01 व 02 की माता तरविणी को देहान्त हो चुका है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर एवं तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कुल्हरियों की ढाणी तहसील बिसाऊ के खाता संख्या 16 में दर्ज तरबीणी पत्नी रामकुमार का नाम हजफ किया जाकर उक्त जमाबन्दी खाते में वादी एवं प्रतिवादी न0 01 व 02 को बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खाता संख्या 16 में वादी एवं प्रतिवादी न0 01 व 02 के पिता नाम रामकुमार के स्थान पर नन्दकुमार एवं जाति जागीड ब्रहामण के स्थान पर जांगीड कर दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ एव स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 51 / 2024 ओमप्रकाश बनाम बनवारी वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 03.04.2025 के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कुल्हरियों की ढाणी तहसील बिसाऊ के खाता संख्या 16 में दर्ज तरबीणी पत्नी रामकुमार का नाम हजफ किया जाकर उक्त जमाबन्दी खाते में वादी एवं प्रतिवादी न0 01 व 02 को बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खाता संख्या 16 में वादी एवं प्रतिवादी न0 01 व 02 के पिता नाम रामकुमार के स्थान पर नन्दकुमार एवं जाति जागीड ब्रहामण के स्थान पर जांगीड कर दुरूस्त किया जाता है।

बसक्श्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 03.04.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा